(2)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.07.2016	**राजस्व वाद संख्या 37/2015 डोली बनाम मन्दिर श्री गोपालजी जरिये तहसीलदार लूणी बनाम कबुडी वगैराह अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** सरकारी पेरोकार उपस्थित। राज्य सरकार की और से यह दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बोरानाडा के खसरा नम्बर 57 रकवा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 19 बिस्वा की भूमि मूल रूप से गोपालजी मन्दिर की खातेदारी भूमि रही है जो सारस्वत नाबालिग है जिसकी रक्षा हेतु भूमिधारी को अतिकमीयों को बेदखल करने के लिये दावा प्रस्तुत करने एवं अन्य कार्यवाही हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को अधिकृत किया है। विवादग्रस्त भूमि मूल रूप से मन्दिर की डोली की भूमि होने से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। इसके बावजूद प्रतिवादी द्वारा इस भूमि पर नाजायज हरकतों से कानून को अपने हाथ में लेकर अवैध रूप से इस भूमि के आगे निमार्ण कार्य करवा दिया इसके लिए डोली मन्दिर श्री गोपालजी एक सारस्वत नाबालिग है और उसके हितों की रक्षा के लिए वादी को यह वाद प्रतिवादी को बेदखल करने का वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी द्वारा अपना वकालतनामा दिनांक 01.05.2015 को प्रस्तुत किया और उसके बाद आज दिनांक तक कोई जवाब दावा पेश नहीं किया और नहीं प्रतिवादी और नहीं उनके अधिवक्ता पैरवी होने हेतु उपस्थित हो रहे है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी के विरूद्व इक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वादी की और से अपनी बहस में बताया कि खसरा परिवर्तन सम्वत 2068 व न्यायालय अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर के राजस्व अपील संख्या 14/2012 से 37/2012 निर्णय दिनांक 05.07.2012 को अपना आधार बताते हुए प्रतिवादी को बेदखली का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध खसरा परिवर्तन सम्वत 2068 को ध्यान में रखते हुए एवं इस खसरा परिवर्तन में दर्शाये गये अतिकमणों को बेदखल किया जाना उचित प्रतीत होता है इस परिपेक्ष्य में वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य है। **आदेश** अतः आदेश है कि बोरानाडा के खसरा नम्बर 57 रकबा 8 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 57/2 रकबा 19 बिस्वा में प्रतिवादी गीता द्वारा बनाया गया झोपड़ा कच्चा व ढालिया फाचरों का 25 x 40 भू भाग से बेदखल किया जाता है। व आदेश दिये जाते है कि वादी उक्त भूमि का कब्जा भौतिक रूप से प्राप्त करें व प्रतिवादी इस भूमि पर किसी प्रकार का कोई निमार्ण कार्य नहीं करें। निर्णय सुनाया गया। खर्चा अपना–अपना वहन करें।डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो। सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी (जोधपुर) राज.	

Scanned by CamScanner